भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3702
(16 जुलाई, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा के अन्तर्गत रोजगार

3702. श्री गोपाल शेट्टीः

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के शुरू होने के बाद से लेकर अब तक, इसके अंतर्गत रोजगार पाने वाले गरीब लोगों की राज्य-वार और लिंग-वार संख्या कितनी है;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत किसी व्यक्ति को दिए जाने वाले न्यूनतम वेतन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस योजना के संबंध में ग्रामीण जनता के बीच जागरुकता पैदा करने के लिए कोई प्रणाली तैयार की है या करने का विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास मंत्री
(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (मनरेगा) योजना के अंतर्गत शुरूआत (वित्तीय वर्ष 2006-07 से 2019-20 तक) से 12.07.2019 तक सृजित श्रम दिवसों और महिला श्रम दिवसों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** में दर्शाया गया है।

(ख) : वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान मनरेगा योजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार अधिसूचित मजदूरी दरें **अनुबंध-II** में दर्शाई गई हैं।

(ग) और (घ) : सरकार मांग के अनुसार काम का प्रावधान सुनिश्चित करने वाली व्यवस्थाएं स्थापित करने के कार्य में राज्य सरकारों के साथ सक्रिय सहयोग कर रही है। इस योजना के प्रावधानों के विषय में जागरूकता बढ़ाने तथा मनरेगा योजना के अंतर्गत ग्रामीण परिवारों को रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से कहा गया है कि वे (i) इस अधिनियम के उपबंधों के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए वॉल पेंटिंगों सहित उपयुक्त सूचना, शिक्षा व संचार (आईईसी) अभियान शुरू करें (ii) मांग पंजीकरण व्यवस्था के कार्यक्षेत्र और कवरेज में विस्तार यह सुनिश्चित करने के लिए करें कि काम की कोई भी मांग मनरेगा के अंतर्गत पंजीकृत होने से छूट न जाए, (iii) योजनाएं भागीदारीपूर्ण तरीके से तैयार करें व उन्हें ग्राम सभा से अनुमोदित कराएं तथा (iv) राज्य यथार्थपूर्ण श्रम बजट तैयार करें।

लोक सभा में दिनांक 16.07.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न सं. 3702 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-**I**

वि.व.: 2006-07 से वि.व. 2019-20 (12.07.2019 तक)

क्र.सं.	**राज्य**	**कुल सृजित श्रमदिवस (लाख में)**	**महिला श्रमदिवस (लाख में)**
1	आंध्र प्रदेश	33486.19	19509.86
2	अरुणाचल प्रदेश	445.19	144.88
3	असम	6397.22	2004.36
4	बिहार	12096.25	4289.68
5	छत्तीसगढ	14780.76	7047.12
6	गोवा	15.71	11.44
7	गुजरात	3925.75	1765.99
8	हरियाणा	1004.67	407.91
9	हिमाचल प्रदेश	2832.63	1580.45
10	जम्मू और कश्मीर	2927.73	640.51
11	झारखंड	8415.99	2824.30
12	कर्नाटक	10110.21	4578.84
13	केरल	7147.95	6514.57
14	मध्य प्रदेश	24716.14	10394.86
15	महाराष्ट्र	7421.32	3302.84
16	मणिपुर	2057.07	822.40
17	मेघालय	2363.76	1046.56
18	मिजोरम	1653.11	552.29
19	नागालैंड	2521.77	807.24
20	ओडिशा	9066.68	3456.83
21	पंजाब	1350.86	713.66
22	राजस्थान	34754.18	23484.78
23	सिक्किम	429.98	199.94
24	तमिलनाडु	34064.22	28018.89
25	तेलंगाना	6668.82	4094.56
26	त्रिपुरा	4972.35	2267.11
27	उत्तर प्रदेश	26477.70	6359.40
28	उत्तराखंड	2290.47	1089.38
29	पश्चिम बंगाल	24964.27	9932.05
30	अण्डमान और निकोबार	50.06	24.44
31	दादर और नगर हवेली	1.65	1.39
32	लक्षद्वीप	7.17	2.67
33	पुदुचेरी	79.95	65.11
	कुल	289497.78	147956.34

स्रोत: www.nrega.nic.in

लोक सभा में दिनांक 16.07.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न सं. 3702 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-II

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अधिसूचित मजदूरी दर (वि.व. 2019-20) (रु. में)
1	आंध्र प्रदेश	211
2	अरुणाचल प्रदेश	192
3	असम	193
4	बिहार	171
5	छत्तीसगढ	176
6	गोवा	254
7	गुजरात	199
8	हरियाणा	284
9	हिमाचल प्रदेश	गैर-अनुसूचित क्षेत्र -185 अनुसूचित क्षेत्र- 231
10	जम्मू और कश्मीर	189
11	झारखंड	171
12	कर्नाटक	249
13	केरल	271
14	मध्य प्रदेश	176
15	महाराष्ट्र	206
16	मणिपुर	219
17	मेघालय	187
18	मिजोरम	211
19	नागालैंड	192
20	ओडिशा	188
21	पंजाब	241
22	राजस्थान	199
23	सिक्किम	192
24	तमिलनाडु	229
25	तेलंगाना	211
26	त्रिपुरा	192
27	उत्तर प्रदेश	182
28	उत्तराखंड	182
29	पश्चिम बंगाल	191
30	अण्डमान और निकोबार	अंडमान जिला-250 निकोबार जिला-264
31	दादर और नगर हवेली	224
32	दमन और दीव	202
33	लक्षद्वीप	248
34	पुदुचेरी	229